

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-1  
संख्या-2045/9-1-2022-5टी.ए./20  
लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा(1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत हीरागंज बाजार, जिला प्रतापगढ़ का गठन करने हेतु नीचे अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या-2349/9-1-2020-5टी.ए./20, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 जारी करके गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूंकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या-1465/9-1-2022-5टी.ए./20, दिनांक 13 जून, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में दी गयी हैं, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत हीरागंज बाजार जिला प्रतापगढ़ के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

नगर पंचायत-हीरागंज बाजार, जिला प्रतापगढ़ का प्रादेशिक क्षेत्र :-

क्रम संख्या	दिशा	ग्राम का नाम	सीमावर्ती गाटा संख्यायें
1	2	3	4
1	पूर्व	फतूहाबाद	747, 855, 992
2	पश्चिम	ऐंधा	90, 91, 370, 371, 372, 373, 375
		बजीरपुर	1, 6, 9, 165, 66, 67, 62, 61, 60, 59, 58, 8, 7, 6
		गोगहर	1, 2, 3, 4, 5, 12, 18, 19, 29
3	उत्तर	बासूपुर	1, 16, 19, 28, 29, 30, 32, 34, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 351, 352, 353, 363, 364, 365, 366, 381, 382, 383, 384, 385, 419, 417, 418
		जगापुर	303, 307, 310, 372, 373, 376
		बलीपुर	1, 2, 10, 11, 27, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 81, 92, 94, 95, 125, 144, 146, 147, 254, 172, 174
		बहोरिकपुर	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 318, 323, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 345, 432, 709, 710, 711
4	दक्षिण	ऐंधा	1806, 1807, 3433, 3438, 3439, 3440, 3462, 3463, 3499, 3513, 3514
		काजीपुरगुलाम जाफर	200, 199, 198, 201, 202, 197, 203, 204, 205

## अनुसूची-2

नगर पंचायत हीरागंज बाजार, जिला प्रतापगढ़ का क्षेत्र :-

क्रम संख्या	ग्रामों/ राजस्व ग्रामों का नाम	सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र
1.	ऐंधा	सम्पूर्ण क्षेत्र (987.718 हेक्टेयर)
2.	जगापुर	सम्पूर्ण क्षेत्र (121.720 हेक्टेयर)
3.	बहोरिकपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र (428.871 हेक्टेयर)
4.	बलीपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र (119.794 हेक्टेयर)
5.	फतूहाबाद	सम्पूर्ण क्षेत्र (306.125 हेक्टेयर)
6.	वजीरपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र (229.206 हेक्टेयर)
7.	काजीपुर गुलाम जाफर (टिकरिया बुजुर्ग आंशिक)	सम्पूर्ण क्षेत्र (59.951 हेक्टेयर)
8.	गोगहर आंशिक	आंशिक क्षेत्र (122.772 हेक्टेयर)

  
(अमृत अभिजात)  
प्रमुख सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक-22 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
  
(महावीर प्रसाद)  
अनु सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज ।
- (2) जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ ।
- (7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ ।
- (8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  
  
(महावीर प्रसाद)  
अनु सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan  
Nagar Vikas Anubhag-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.- 2045/9-1-2022-5TA/20 dated July 22, 2022.

**NOTIFICATION**

**No.-2045/9-1-2022-5TA/20**

**Lucknow; Dated: July 22, 2022**

WHEREAS Notification no.-2349/IX-1-2020-5T.A./20 dated December 10, 2020 was issued published in the Gazette with a view to invite objections and suggestions for issuance of notification specifying the area mentioned in the Schedules below as transitional area for constituting Nagar Panchayat Heeraganj Bazar in District Pratapgarh as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916);

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of said notification were disposed of vide Government order no-1465/9-1-2022-5T.A./20 dated June 13, 2022.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance is pleased to specify that the local area the limits of which are given in the Schedules below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Heeraganj Bazar in District Pratapgarh.

**SCHEDULE-1**

**Territorial Area of Nagar Panchayat Heeraganj Bazaar in District Pratapgarh :-**

Sr. No.	Direction	Name of Village	Gata No. of Boundary
1	2	3	4
1	East	Fatoohabad	747, 855, 992
2	West	Aindha	90, 91, 370, 371, 372, 373, 375
		Wajirpur	1, 6, 9, 165, 66, 67, 62, 61, 60, 59, 58, 8, 7, 6
		Goghar	1, 2, 3, 4, 5, 12, 18, 19, 29
3	North	Basupur	1, 16, 19, 28, 29, 30, 32, 34, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 351, 352, 353, 363, 364, 365, 366, 381, 382, 383, 384, 385, 419, 417, 418
		Jagapur	303, 307, 310, 372, 373, 376
		Balipur	1, 2, 10, 11, 27, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 81, 92, 94, 95, 125, 144, 146, 147, 254, 172, 174
		Bahorikpur	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,

			318, 323, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 345, 432, 709, 710, 711
4	South	Aindhha	1806, 1807, 3433, 3438, 3439, 3440, 3462, 3463, 3499, 3513, 3514
		Kajipur gulam jafar	200, 199, 198, 201, 202, 197, 203, 204, 205

**SCHEDULE-2**

**Area of Nagar Panchayat Heeraganj Bazaar in District Pratapgarh :-**

Sr. No.	Name of Villages/ Revenue Villages	Included Area
1.	Aindhha	Total Area (987-718 Hec)
2.	Jagapur	Total Area (121-720 Hec)
3.	Bahorikpur	Total Area (428-871 Hec)
4.	Balipur	Total Area (119-794 Hec)
5.	Fatoohabad	Total Area (306-125 Hec)
6.	Wajirpur	Total Area (229-206 Hec)
7.	Kajipur gulam jafar (Tikariya Bujurg Partial	Total Area (59-951 Hec)
8.	Goghar Partial	Partial Area (122-772 Hec)

  
 ( Amrit Abhijat )  
 Principal Secretary